बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

अधिसूचना

बिहार राज्य में केन्द्रीय सहायता पर आधारित 'राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना' राज्य योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1995 से कार्यान्वित है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के मुख्य अर्जनकर्त्ता जिसकी उम्र 18–64 वर्ष है की मृत्यु होने के उपरान्त उसके शोक–संतप्त परिवार को एकमुश्त 10,000/– (दस हजार रुपये) देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से अनुदान की राशि 10,000/– (दस हजार रुपये) से बढ़ाकर 20,000/– (बीस हजार रुपये) कर दी गयी है। कई बार दुर्घटना, अपराधिक घटना आदि में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है जो उपरोक्त मापदण्डों को पुरा नहीं करते हैं फिर भी विधि व्यवस्था के संधारण की दृष्टि से ऐसे मामलों में अनुदान देना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे मामलों में पीड़ीत परिवार को अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना प्रारंभ करने का विचार राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। एतद् द्वारा राज्य सरकार, **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना** (Cheif Minister Family Benefit Scheme) निम्नलिखित रूप में बनाती है:–

नामः– **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना**

उद्देश्यः–

राज्य के किसी भी आय एवं आयु वर्ग के व्यक्ति जिनकी दुर्घटना में या अपराधिक घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाती है, के शोक–संतप्त परिवार (आश्रित) को मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत एकमुश्त 20,000/– रु0 का अनुदान देने का प्रावधान है। बी0पी0एल परिवार के 18–64 वर्ष आयु वर्ग के मुख्य अर्जनकर्त्ता की मृत्यु पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत् ही लाभान्वित किया जायगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु पर उनके आश्रित को मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायगा, अर्थात् एक व्यक्ति की मृत्यु पर किसी एक ही योजना का लाभ देय होगा।

पात्रताः–

(क) इस योजना का लाभ किसी व्यक्ति की दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु होने पर ही उसके आश्रित को दिया जायगा।

(ख) इसके लिए उम्र एवं आय की कोई सीमा नहीं होगी।

(ग) इस योजना का लाभ वैसे व्यक्ति के परिवार को मिलेगा जो बिहार हो या कम–से–कम 10 वर्ष से बिहार में रह रहे हो एवं जिनकी मृत्यु बि हो।

(घ) पुरूष या स्त्री दोनों की मृत्यु की दशा में इस योजना का लाभ उस को देय होगा।

(ङ) यदि दुर्घटना में किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु ह इस योजना का लाभ उसके आश्रित को प्रत्येक मृत सदस्य के लिए अ देय होगा।

(च) दुर्घटना में मृत्यु का तात्पर्य किसी सरकारी या निजी वाहन से य समय दुर्घटना में मृत्यु, ट्रेन या अन्य यातायात–वाहन से दुर्घटना में मृ सार्वजनिक स्थल पर बिस्फोट/भगदड़ या अन्य कारण से मृत्यु या अन्य प्रकार की मृत्यु जो प्रथम दृष्टया दुर्घटना प्रतीत होता हो, है। आत्म हत्या में यह लाभ देय नहीं होगा। इन सारी स्थितियों में मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन संलग्न करना होगा।

(छ) अपराधिक घटना एवं दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में प्राथमिकी (I छायाप्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना

आवेदन की प्रक्रियाः–

1. (क) इस योजना के अन्तर्गत आवेदक अपना आवेदन पत्र विहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय क अनुमण्डल पदाधिकारी इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे। आवेदन देने कोई शुल्क देय नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र की अनुपलब्धता की दशा में सादे का आवेदन सभी आवश्यक विवरणी के साथ स्वीकार्य होगा।

(ख) आवेदन पत्र प्रखण्ड कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय/अनुमण्डल काय जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय और समय–समय पर सम्यक रूप से अधि कार्यालयों द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जायगा।

भुगतान की प्रक्रियाः—

(क) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा योजनान्तर्गत राशि का आवंटन सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दिया जायगा। यह आवंटन जिलों के प्रखण्डों/नगर निकायों की संख्या (जनसंख्या के अनुरूप) के आधार पर दिया जायगा।

(ख) प्रत्येक जिला में 5 मामलों के समतुल्य अर्थात् 1 लाख की राशि Imprest Money के रूप में रखी जायगी तथा जिन—जिन मामलों में इस राशि से व्यय स्वीकृत होगा उतने मामलों में निकासी कर Imprest Money में प्रतिपूर्त्ति कर दी जायगी। इस व्यवस्था के अतिरिक्त कोई अग्रिम की निकासी नहीं की जायगी।

(ग) अनुमण्डल पदाधिकारी इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे। आवश्यकतानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी समय—समय पर जिला पदाधिकारी से राशि प्राप्त कर मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुदान की राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे तथा अभिश्रव की एक प्रति जिला पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे ताकि अगला अनुदान प्राप्त करने में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं हो।

(घ) यह व्यवस्था पीड़ीत परिवारों के लिए शीघ्र अनुदान हेतु की जा रही है। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत राशि के प्रवाह का अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होंगे एवं डी0सी0 विपत्र समय पर कोषागार में जमा करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिम्मेवार होंगे।

टिप्पणीः—

1. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012—13 में बिहार परिवार लाभ योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष के अन्तर्गत किया जायगा। पूर्व में इस योजना का नाम बिहार परिवार लाभ योजना प्रस्तावित था जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना नामित किया गया है।
2. यदि आवेदक द्वारा दी गयी गलत जानकारी के आधार पर अनुदान स्वीकृत हो गया हो तो अनुदान के रूप में भुगतान की गयी पूरी राशि वसूलनीय होगी एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाई भी की जा सकेगी।

3. यदि आवेदक के आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के संबंध में कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न हो, तो जिला पदाधिकारी को विषय की जाँच–पड़ताल करने का अधिकार होगा।
4. सहायक निदेशक प्रत्येक माह की 05वीं तारीख तक पूर्व माह का जिलावार प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार के कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
5. योजना के संबंध में प्रशासी विभाग, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना आवश्यकतानुसार समय–समय पर योजना में संशोधन कर सकेगा या अनुदेश निर्गत कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राजित पुनहानी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना–01/2012 स.क–   पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5,000 प्रतियाँ समाज कल्याण विभागको उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0/–
(राजित पुनहानी)
सचिव

ज्ञापांक–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना–01/2012 स.क–   पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/उप सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार/माननीया मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सरकार पक्ष, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजित पुनहानी)
सचिव

ज्ञापांक–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना–01/2012 स.क– 1949 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजित पुनहानी)
सचिव